न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :–अनीता मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 14 / 2021(उदयपुरआर्डर)

वरदा पिता कमला जी डांगी, निवासी मदार सतीमाता का नोहरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर(राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. शिवलाल पिता उदा जी डांगी, निवासी मदार सतीमाता का नोहरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
2. बद्रीलाल पिता देवा जी डांगी, निवासी मदार सतीमाता का नोहरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
3. नारायणलाल पिता देवा जी डांगी, निवासी मदार सतीमाता का नोहरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती देऊबाई पुत्री उदा पत्नी तोलाराम जी डांगी, निवासी भुवाणा, डागलियों की मगरी, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
5. डालू पिता गांगा जी डांगी, निवासी मदार सतीमाता का नोहरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
6. हुकमीचन्द पिता देवा जी डांगी, निवासी मदार सतीमाता का नोहरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
7. श्रीमती सोनाबाई पुत्री देवी पत्नी लालूराम जी डांगी, निवासी लोयरा, गवरी चौक, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
8. दलीचन्द पिता गांगा जी डांगी, निवासी मदार सतीमाता का नोहरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
9. श्रीमती वरदी पुत्री गांगा पत्नी लोगरलाल जी डांगी, निवासी डांगियों का गुड़ा, हुन्दरियों का नोहरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
10. श्रीमती पूरी बाई पत्नी देवा जी डांगी, निवासी मदार सतीमाता का नोहरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
11. श्रीमती अमरी पत्नी गांगा जी डांगी, निवासी मदार सतीमाता का नोहरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (र

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.08.16 14:54:32 IST
Reason: SelfAttested

12. सुखलाल पिता गोपीलाल जी डांगी, निवासी डांगियों का गुड़ा, मानपुरा, लखावली, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

13. राज्य जरिये तहसीलदार, बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णयउपखण्डअधिकारी, बड़गांव
दिनांक05.04.2021प्र॰सं॰56 / 20
———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री धनसिंह सिसोदियाअभिभाषकअपीलान्ट
2. श्री खुबीलाल सिंघवी अभिभाशक रे.सं. 1 से 12
3.श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णयदिनांक 11–07–2022

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 जा.दी.का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि मौजा मदार में स्थित है, जिसके हाल आराजी नंबर 4303 रकबा 0.2600 हैक्टर है। उक्त कृषि भूमि पर प्रथम पैमाईश से ही प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है, जिसके साबिक आराजी नंबर 1960 थे, जो एक महाजन के मुर्तिहीन बिल कब्ज थी। उस समय से ही प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है तथा चारों ओर बाउण्ड्रीवाल बनी होकर फाटक लगी है तथा प्रार्थी का मकान बना होकर निवास कर रहा है। विपक्षी संख्या 1 व 2 पत्थरगढ़ी की आड़ में उक्त भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं, जबकि उक्त भूमि में उनका कोई हित निहित नहीं है। अतः विपक्षीगण कोजरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थना पत्र में अंकित उक्त भूमि में किसी प्रकार की विघ्न उत्पन्न नहीं करें तथा राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

विपक्षीगण ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी नंबर 4303 रकबा 0.2600 हैक्टर विपक्षी संख्या 1 से 12 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है तथा उनके स्वामित्व के विपक्षीगण ने उक्त भूमि बाबत् एक दावा उपखण्ड अधिकारी, बड़गांव में प्रस्तुत किया, जिसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.08.16 14:54:32 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या 134/2000 होकर दिनांक 19–09–2007 को विपक्षीगण के पक्ष निर्णित हुआ है, जिसकी अपील प्रार्थी द्वारा राजस्व अपील अधिकारी के न्यायालय में की गयी, जो दिनांक 03–02–2010 को विपक्षीगण के पक्ष में निर्णित हुआ है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वाराउभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 05–04–2021 प्रार्थी का प्रार्थना पत्रखारिज कर दिया,जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा दिनांक 06–04–2021 को इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब करने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 12की ओर से वकील श्री खुबीलाल सिंघवी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 13 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 12 की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गयी, जिसके जवाब में अपीलान्ट द्वारा भी लिखित बहस प्रस्तुत की गयी, जो पत्रावली के रेकार्ड पर है।अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया एवं बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में पड़ोसियों के शपथ पत्रों का उल्लेख नहीं किया है, जिसमें अपीलान्ट का कब्जा दर्शाया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने जानबूझकर अपने निर्णय में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बिजली के बिलों एवं मकान का कोई उल्लेख नहीं किया है। कब्जे बाबत् वादग्रस्त आराजी के फोटोग्राफ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये, जिसका खण्डन रेस्पोन्डेन्ट द्वारा नहीं किया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र पत्थरगढ़ी के आदेश के आधार पर प्रार्थी/अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये अस्थाई निशेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाशक रेस्पोन्डेन्ट ने अपनी लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित आराजी उनके खातेदारी आधिपत्य की होकर पीढ़ियों से उनका कब्जा चला आ रहा है। उक्त आरा[illegible]पीलान्ट का कोई स्वत्व व

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.08.16 14:54:32 IST
Reason: SelfAttested

अधिकार नहीं है। अपीलान्ट न तो खातेदार है, न ही उसका कब्जा है ऐसी स्थिति में वह किसी प्रकार की स्थायी या अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनने के बाद प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 में विवादित आराजी नंबर 4303 रकबा 0.2600 हैक्टर विपक्षी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 12 के खातेदारी में दर्ज है। अपीलान्ट उक्त भूमि पर अपना पुराना कब्जा बताता है एवं कब्जे बाबत् साबिक खसरा नंबर 1960 का खसरा पत्रक प्रस्तुत किया है। उक्त खसरा पत्रक में उदा, गांगा, देवा पिता हीरा डांगी का नाम अंकित है, किन्तु अपीलान्ट/प्रार्थी का उक्त खातेदारों से क्या संबंध हैं, यह अपीलान्ट ने नहीं बताया है। पत्थरगढ़ी के निर्णय में विवादित आराजी पर अधिपत्य उपखण्ड अधिकारी न्यायालय एवं राजस्व अपील अधिकारी न्यायालयने विपक्षीगण का माना गया है। उक्त निर्णय के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई अपील अपीलान्ट द्वारा की गयी है, इस बाबत् कोई दस्तावेज उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थी न तो खातेदार है एवं न ही उसका कब्जा साबित है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतःअपील अपीलान्टसारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 05–04–2021यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 11–07–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.08.16 14:54:32 IST
Reason: SelfAttested